भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न प्रश्न संख्या 2524
उत्तर देने की तारीख 13.03.2025
ओडिशा में जनजातीय विकास परिषद का विस्तार

2524. श्री सुकांत कुमार पाणिग्रही:

क्या *जनजातीय कार्य* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ओडिशा की जनजातीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए 23 जिलों में विशेष विकास परिषद् (एसडीसी) के हाल के विस्तार से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार किस तरह से इन पहलों को सहायता देने और बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है; और

(ग) इन विस्तारित क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी विशिष्ट योजनाएं लागू की गई हैं और कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)
(क) से (ग) : जी हां। जैसा कि सूचित किया गया है, ओडिशा सरकार ने वर्ष 2017 में 9 जनजातीय बहुल जिलों मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझार, मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, रायगढ़, गजपति और कंधमाल के लिए विशेष विकास परिषदों (एसडीसी) की स्थापना की है। वर्ष 2023 के दौरान, ओडिशा सरकार ने 14 नए जिलों अर्थात् अंगुल, बालासोर, बरगढ़, बोलनगीर, बौध, देवगढ़, ढेंकनाल, गंजम, जाजपुर, झारसुसुदा, कालाहांडी, नयागढ़, नुआपाड़ा और संबलपुर को जोड़कर विशेष विकास परिषद (एसडीसी) का विस्तार 23 जिलों तक कर दिया है। ये परिषदें विशेष रूप से जनजातीय संस्कृति और परंपराओं, विरासत और प्रत्येक जनजाति की विशिष्ट पहचान के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास राज्य की पहल को सहायता देने और बढ़ाने के लिए निधियों का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, विशेष विकास परिषद (एसडीसी) योजना के तहत, प्रत्येक विशेष विकास परिषद के लिए जिला आवंटन राज्य सरकार द्वारा अनुदान सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है, जो जिले में ब्लॉकों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। नौ मौजूदा एसडीसी के लिए आवंटन 1.50 करोड़ रु. प्रति ब्लॉक है। नए शामिल किए गए चौदह एसडीसी जिलों के लिए, 50,000 से अधिक जनजातीय आबादी वाले ब्लॉकों को 1.50 करोड़ रुपये प्रति ब्लॉक और 50,000 से कम जनजातीय आबादी वाले ब्लॉकों को 0.75 करोड़ रुपये प्रति ब्लॉक की दर से आवंटन मिलता है।

******